भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2246
उत्तर देने की तारीख 5 अगस्त, 2024
सोमवार, 14 श्रावण, 1946 (शक)

एनएसडीसी द्वारा कौशल प्रशिक्षण के प्रभाव के संबंध में अध्ययन

2246. श्री सुधाकर सिंह:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को इसकी स्थापना वर्ष से 2022 तक 15 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का स्पष्ट अधिदेश दिया गया था;

(ख) एनएसडीसी की प्रारंभिक योजना क्या थी और अब तक राज्य-वार कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने कौशल प्रशिक्षण के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(ङ) जब एनएसडीसी को एनएसडीसी इंटरनेशनल के सभी कार्य करने का अधिदेश दिया गया है तब एनएसडीसी इंटरनेशनल के गठन का उद्देश्य क्या है; और

(च) क्या एनएसडीसी के पास सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के अलावा आय का कोई अन्य स्त्रोत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की स्थापना नवंबर, 2014 में की गई थी। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार, स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

एनएसडीसी एमएसडीई और अन्य मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न कौशल स्कीमों अर्थात पीएमकेवीवाई, एनएपीएस और पीएम विश्वकर्मा, को कार्यान्वित करता है, जिसमें पूरे देश में बाजार-नीत शुल्क-आधारित कार्यक्रम शामिल हैं। दिनांक 30.06.2024 तक एनएसडीसी द्वारा कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

(ग) और (घ) एमएसडीई की प्रमुख स्कीम पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा अक्तूबर 2020 में जॉब और कौशल क्षेत्र के अंतर्गत किया गया था। अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के अधीन प्रशिक्षित अधिक उम्मीदवारों को काम पर रखेंगे। इसके अलावा, पूर्णकालिक/अंशकालिक नियोजित और आरपीएल घटक के अंतर्गत उन्मुख 52 प्रतिशत उम्मीदवारों को उच्च वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अपने अप्रमाणित साथियों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा पीएमकेवीवाई का एक तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन भी किया गया। इस मूल्यांकन के अनुसार, लगभग 70.5% सर्वेक्षण किए गए उम्मीदवारों को उनके वांछित कौशल क्षेत्र में नियोजन मिला।

इसके अलावा, वर्ष 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के एक ट्रेसर अध्ययन से पता चलता है कि कुल आईटीआई उत्तीर्णों में से 63.5% को रोजगार मिला है।

(ङ) एनएसडीसी-I विभिन्न देशों में भारतीय कुशल कार्यबल की मांग और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप भारतीय कार्यबल के लिए आवश्यक कौशल का अध्ययन करता है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एनएसडीसी और उसके प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

(च) सरकारी वित्त-पोषित स्कीमों के कार्यान्वयन के अलावा, एनएसडीसी विभिन्न स्रोतों जैसे कौशल परामर्श सेवाएं और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) वित्त-पोषित परियोजनाओं सहित निजी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रबंधन शुल्क से आय अर्जित करता है।

अनुबंध

दिनांक 05.08.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2246 के भाग (ख) के उत्तर के संदर्भ में

30.06.2024 तक एनएसडीसी द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमकेवीवाई (प्रशिक्षित/ उन्मुख) (2015 से)	एनएपीएस (ऑन-जॉब-ट्रेनिंग) (2018 से)	पीएम विश्वकर्मा (बुनियादी कौशल उन्मुख) (2023 से)	एनएसडीसी के बाजार आधारित शुल्क आधारित कार्यक्रम (प्रशिक्षित/उन्मुख) (2010 से)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4,763	110	0	988
2	आंध्र प्रदेश	5,03,423	65,318	49,222	645014
3	अरुणाचल प्रदेश	91,792	142	0	2455
4	असम	7,91,440	37,733	30,297	172865
5	बिहार	6,73,970	21,171	3,211	353688
6	चंडीगढ़	27,674	3,553	37	43422
7	छत्तीसगढ	1,93,795	21,181	13,066	677074
8	दिल्ली	5,15,901	76,590	0	1881832
9	गोवा	10,371	25,193	2,411	18907
10	गुजरात	4,50,317	3,56,899	82,188	347504
11	हरियाणा	6,99,922	2,35,932	7,163	830290
12	हिमाचल प्रदेश	1,58,657	28,315	1,143	293791
13	जम्मू और कश्मीर	3,76,553	3,579	85,395	111500
14	झारखंड	2,93,936	38,575	8,972	297607
15	कर्नाटक	5,42,575	2,29,207	1,15,335	733060
16	केरल	2,65,885	47,387	545	303532
17	लद्दाख	3,958	123	1,042	113
18	लक्षद्वीप	270	38		0
19	मध्य प्रदेश	9,81,539	84,994	17,249	1499529
20	महाराष्ट्र	12,72,695	7,57,098	35,873	2593180
21	मणिपुर	98,292	174	674	19854
22	मेघालय	53,622	731	0	41823
23	मिजोरम	38,120	58	0	8679
24	नगालैंड	49,703	83	200	14638
25	ओडिशा	5,85,560	39,347	6,299	687976
26	पुदुचेरी	32,735	6,369	0	14852
27	पंजाब	4,80,266	51,944	1,558	410483
28	राजस्थान	11,99,930	58,090	21,753	484396
29	सिक्किम	17,443	1,177	0	21269
30	तमिलनाडु	8,24,589	2,81,276	0	1237160
31	तेलंगाना	4,44,530	1,39,343	11,289	713398
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	10,459	6,586	0	17318
33	त्रिपुरा	1,53,799	1,784	2,970	13697
34	उत्तर प्रदेश	21,16,689	2,18,033	17,342	1128955
35	उत्तराखंड	2,25,255	59,395	3,229	183268
36	पश्चिम बंगाल	6,21,078	93,544	0	1395587
	योग	**1,48,11,506**	**29,91,072**	**5,18,463**	**1,71,99,704**

*****